RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक २५] **गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७-ऑगस्ट २, २०१७/श्रावण ५-११, शके १९३९** **[पृष्ठे २९**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०१६.— महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन् २०१६.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	१७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन् २०१६.— महाराष्ट्र राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	१९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०१६.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	२६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१६.— महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	२८

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2016.

THE MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2016.

AN ACT TO PROVIDE FOR LEVYING A DUTY ON CONSUMPTION OF ELECTRICAL ENERGY IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ८ अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क उद्ग्रहीत करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करनेसंबंधी अधिनियम।

क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, २००३ के अधिनियमन के कारण विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा आपूर्ति के प्रबंधन में, आमूल्य-परिवर्तन प्रवेश कर रहे है तथा नयी संकल्पनाएँ, जैसे कि विद्युत व्यापार, विद्युत आदान-प्रदान, मुक्त अभिगमन, विद्युतीय उत्पादन की अनुज्ञप्ति रद्द करने, आदि प्रवर्तित हो रही है, जो महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम का भाग नहीं है ; सन् २००३ का ३६। सन् १९५८ का ४०।

और क्योंकि उक्त विद्युत अधिनियम द्वारा किये गये परिवर्तनों पर विचार करने के पश्चात्, महाराष्ट्र सरकार, विद्यमान महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम के निरसन द्वारा, उक्त विद्युत अधिनियम के अनुसार, सभी प्रवर्गों के विद्युत उपभोक्ताओं को सम्मिलित करते हुये, महाराष्ट्र राज्य में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क उद्ग्रहीत करने के लिये एक व्यापक विधि बनाना इष्टकर समझती है ; अतः भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :— सन् १९५८ का ४०।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ कहलाए ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " आबद्ध उत्पादन " का तात्पर्य, विद्युत अधिनियम की धारा २ के खण्ड (८) तथा इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा तद्धीन बनाये गये नियमों में परिभाषित " आबद्ध उत्पादन संयंत्र " से उत्पादित उर्जा से है ;

(ख) " सह उत्पादन " का तात्पर्य, ऐसी प्रक्रिया से है, जो साथ-साथ दो या अधिक प्रकार की विद्युत समेत उपयोगी उर्जा उत्पादित करती है ;

(ग) " आयोग " का तात्पर्य, विद्युत अधिनियम की धारा ८२ के अधीन, राज्य सरकार द्वारा गठित महाराष्ट्र विद्युत विनियमनकारी आयोग से है ;

(घ) " उपभोक्ता " का तात्पर्य कोई व्यक्ति, जो अनुज्ञप्तिधारी, या सरकार या विद्युत अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोगों को विद्युत आपूर्ति के कारोबार में जुड़े हुये व्यक्ति द्वारा उसके अपने उपयोग के लिये, विद्युत आपूर्ति होती है तथा जिसमें, किन्हीं व्यक्ति, जिनका परिसर, अनुज्ञाप्तिधारी, सरकार या, यथास्थिति, ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों के साथ विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये तत्समय संबंधित है, का समावेश है से है ;

(ड़) " उपयोग प्रभार " का तात्पर्य, उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा के लिये, इस अधिनियम के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उद्ग्रहीत प्रभार जिसमें, आयोग द्वारा अनुमोदित दर सूची के अनुसार नियत प्रभार, जैसा कि-माँग प्रभार, परिवर्तनीय प्रभार, जैसे कि- उर्जा प्रभार, इंधन समायोजन प्रभार, और विश्वसनीयता प्रभार का समावेश है किंतु विलंबित प्रभार या तत्काल भुगतान के लिये दण्डनीय प्रभार या प्रोत्साहन, उर्जा घटक, हार्मोनिक, भार घटक, उसके लिये प्रभारित ब्याज या, यथास्थिति, निर्धारण पर संयोजित प्रभार का समावेश नहीं होगा, से हैं ;

(च) " विद्युत निरीक्षक " का तात्पर्य, विद्युत अधिनियम की धारा १६२ की उप-धारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है ;

(छ) " विद्युत अधिनियम " का तात्पर्य, विद्युत अधिनियम, २००३ (सन् २००३ का ३६) से है ;

(ज) " विद्युत शुल्क निरीक्षक " का तात्पर्य, धारा ८ की उप-धारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) " ऊर्जा " का तात्पर्य, किसी प्रयोजन के लिये उत्पादित, पारेषित, वितरित, उपभोग की गई, व्यापार की गई या वहन की गई विद्युत ऊर्जा से हैं ;

(ञ़) " उत्पादन कंपनी " का तात्पर्य, कोई कंपनी या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो किसी उत्पादन केंद्र का स्वामी है या ऐसे प्रचालित करता है या उसका रखरखाव करता है ;

(ट) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से हैं ;

(ठ) " स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आयपीपी) " का तात्पर्य, विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादक, जो सार्वजनिक उपयोग के लिये नहीं है किंतु, जो उपयोग के लिये या अनेक उपयोगकर्ताओं को विक्रय के लिये विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करता है ;

(ड) " उद्योग " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, इस प्रकार घोषित औद्योगिक उपक्रम, जिसमें, समय-समय से, राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न औद्योगिक नीतियों द्वारा आवेष्टित उद्योगों का समावेश है, से है ;

(ढ) " अनुज्ञप्तिधारी " का तात्पर्य, व्यक्ति, जिसे विद्युत में पारेषण, वितरण, आपूर्ति, व्यापार के लिये विद्युत अधिनियम की धारा १४ के अधीन अनुज्ञाप्ति प्रदान की गई समझी गई है तथा वह, जो अनुज्ञप्तिधारक प्रास्थिति धारणा करता है तथा यह भी जो विद्युत अधिनियम की धारा १३ के अधीन छूट-प्राप्त है, सम्मिलित है, से है ;

(ण) " मुक्त अभिगमन " का तात्पर्य, का, पारेषण लाईनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली सहित सहयुक्त सुविधाओं किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता या आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसरण में उत्पादन में जुडे हुये किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की अविभेदकारी व्यवस्था, से है ;

(त) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन, बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(थ) " नवीकरणीय ऊर्जा " का तात्पर्य, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ग्रीड गुणवत्ता विद्युत से है, जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है और समय के बीतने के साथ भर सके, चाहे वह जैविक पुनरुत्पादन हो या अन्य प्राकृतिक पुनरावर्ती प्रक्रियाएँ हो, जैसा कि-सूर्यप्रकाश, हवा, वर्षा, ज्वार-भाटा, लहरे, भू-उष्मा, जैवसंहति, जैव इंधन, हो किंतु जीवाश्म इंधन का समावेश न हो ;

(द) " नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत " का तात्पर्य, खोई या कृषि उत्सर्ग, जैव-इंधन या नगर या निगम धन उत्सर्ग, औद्योगिक उत्सर्ग समेत लघु, सुक्ष्म तथा छोटे उदजन, हवा, सौर, जैवसंहति जैसे नवीकरणीय स्रोत तथा भारत सरकार के नये तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त या अनुमोदित ऐसे अन्य स्रोतों से है ;

(ध) " अनुसूची " का तात्पर्य, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है ;

(न) " वैकल्पिक उत्पादन " का तात्पर्य, रखरखाव, मरम्मत के कारण विद्युत आपूर्तिकार द्वारा, विफलता या हस्तक्षेप या भार नियमन या बहिरेश से जाने के कारण विद्यमान अनुज्ञाप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति की अनुपस्थिति में विद्युत का उत्पादन करना किंतु विद्युत अधिनियम की धारा ५६ के उपबंधों के अनुसार भुगतान में चूक के कारण आपूर्ति के असंबद्धीकरण के कारण न हो, से है ;

(प) " युनिट " का तात्पर्य, प्रतिघंटा किलोवॅट (KWh) में उपभोग की गई ऊर्जा के मापन के युनिट से है ।

(२) इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित न किये गये और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें विद्युत अधिनियम, २००३ के अधीन यथासमनुदेशित अर्थ से है । सन् २००३ का ३६ ।

उपभोग ऊर्जा के युनिटों पर शुल्क ।

३. (१) उप-धारा (२) के उपबंधो के अध्यधीन, उपभोक्ता प्रभार या उपभोक्त ऊर्जा के युनिट पर शुल्क (जिसे इसमें आगे " विद्युत ऊर्जा " कहा गया है) उसके अपने उपयोग के लिये, उपभोक्ता द्वारा, जिसके नाम पर अनुज्ञाप्तधारी द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है या उपभोक्ता, जो अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा आपूर्ति किये जाने के अलावा अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट स्वतंत्र स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा, जो निम्न वर्गीकरण पर आधारित है, उत्पादक द्वारा परिसर के उपयोग के आधार पर, समय-समय से आयोग द्वारा दर-अनुसूची के अनुसार, वर्गीकृत दरों पर सरकार को उद्ग्रहीत तथा भुगतान किया जायेगा ।

(क) उपभोग प्रभार, जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है ;

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, " उपभोक्ता, जिसके नाम पर ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, द्वारा परिसर का उपयोग " का तात्पर्य, प्रयोजन का आधार, जिसके लिये उपभोक्ता, जिसके नाम में आपूर्ति की जाती है, तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति के समय लगाये गये मीटर द्वारा मापन की जाती है, जिसपर उपभोग प्रभार, दरसूची के अनुसार लगाये जाते है, तथापि, बृहत् औद्योगिक पार्क, वाणिज्यिक परिसर या मॉल, जहाँ विद्युत एकल बिंदू पर या थोक उपभोक्ता के रुप में आपूर्ति की जाती है तथा आगे यह, परिसर के स्वामी द्वारा, उपयोगिता सेवा में से एक के रूप में पट्टे पर या किराये पर लिये गये व्याप्त क्षेत्र के अनेक उपयोगकर्ताओं या अन्यथा जिसके विद्युत के उपयोग का प्रयोजन अनेकों उपभोक्ताओं पर सुस्पष्ट रूप से विभिन्न हो सकेगा, को पुनर्वितरित की जाती है से है ;

(ख) व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा के युनिट तथा ऊर्जा–

(एक) आबद्ध उत्पादन ;

(दोन) सह-उत्पादन ;

(तीन) वैकल्पिक उत्पादन ;

(चार) नवीकरणीय ऊर्जा ; या

(पाँच) स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक **(आयपीपी)** के ज़रिये उत्पादित की जाती है ;

(ग) उपभोग किये गये ऊर्जा के युनिट, खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नहीं आते है, वह मुक्त अभिगमन या अन्य स्रोतों से है।

(२) विद्युत शुल्क–

(एक) सार्वजनिक उपक्रमों को छोडकर राज्य सरकार द्वारा ;

(दो) सार्वजनिक उपक्रमों को छोडकर केंद्र सरकार द्वारा ;

(तीन) महाराष्ट्र राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी स्थानिक निकाय द्वारा चलाने जानेवाले शिक्षा या प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालय या महाविद्यालय, या संस्थांओं, छात्रालयों, अस्पतालों उपचर्या-गृहों, औषधालयों, चिकित्सालयों, लोक पथ बिजली, लोक जल कार्य, मल-जल प्रणाली, लोक मैदान, जिस में-चिडियाघर, लोक संग्रहालय का समावेश है, प्रशासनिक कार्यालय प्रणाली का संपूर्णतः या, यथास्थिति, अंशतः भाग बन रहा है, के प्रयोजन के लिये या संबंध में ;

(चार) सरकारी छात्रावासों द्वारा ;

(पाँच) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या पारेषण तथा वितरण प्रणाली की संरचना, रखरखाव, कार्यान्वयन से सीधे रूप से, उसमें उपगत नुकसान समेत, संबंधित प्रयोजनों के लिये, विद्युत अधिनियम के अधीन लोगों को विद्युत की आपूर्ति के कारोबार में जुडे हुये किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा ;

(छह) उत्पादन प्लांट की संरचना, रखरखाव तथा कार्यान्वयन से सीधे संबंधित प्रयोजनों के लिये किसी उत्पादन कंपनी द्वारा ;

(सात) मेट्रो तथा मोनो रेल छोडकर वाहनों तथा जलयानों के उपयोग के लिये, उसकी आपूर्ति के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित ऊर्जा से है ;

(आठ) जहाँ, १०० वोल्टों से अनधिक वोल्टेज पर विद्युत उत्पादित की जाती है।

(३) उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, आवास प्रयोजनों के लिये उपयोग किये गये परिसरों के संबंध में, अनुसूची 'क' के अनुसार उपभोग प्रभारों पर विद्युत शुल्क राज्य सरकार को उदग्रहीत तथा भुगतान किया जायेगा।

विद्युत शुल्क से छूट देने की शक्ती।

४. अधिरोपित किये जा सके, ऐसे निबंधनों के अध्यधीन, राज्य सरकार, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है की, किन्हीं परिसरों के वर्गों तथा प्रयोजनों के संबंध में, ऐसे क्षेत्र में और उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी अवधि के लिये या विनिर्दिष्ट सीमा तक ऊर्जा उपभोग किये जाने के संबंध में संपूर्ण या राज्य के किसी भाग में ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से अनुसूची के अनुसार भुगतानयोग्य विद्युत शुल्क संपूर्णतः या किसी भाग के भुगतान से, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा निम्न के संबंध में छूट दे सकेगी,–

(एक) उसमें प्रभावी ऊर्जा की उपलब्धता तथा कींमत और औद्योगिक या कृषि विकास, शैक्षणिक, चिकित्सा सहायता, सुविधाओं, सामाजिक परिस्थिति दशा ; तथा

(दो) विभिन्न नीतियाँ तथा आवश्यकताएँ तथा इस निमित्त विनिर्दिष्ट, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अधिघोषित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास की परिस्थिति :

परंतु, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, इस अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व, इस संबंध में जारी किसी आदेश पर प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसा आदेश, उसमें उल्लिखित अवधि के अवसित होने तक तथा जहाँ ऐसे अवधि उल्लिखित न हो, इस अधिनियम के अधीन उस संबंध में जारी किसी आगे के आदेश तक निरंतर प्रवृत्त रहेगा।

विद्युत शुल्क उपांतरित करने की शक्ती।

५. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जा सके, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट किये जाये, ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि के लिये ऐसे उपभोक्ताओं के वर्ग, ऐसे प्रकार के उत्पादन के संबंध में विद्युत शुल्क के दरों को उपांतरित कर सकेगी।

विद्युत शुल्क का भुगतान तथा वसूली।

६. (१) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इस अधिनियम के अधीन, भुगतानयोग्य समुचित विद्युत शुल्क विहित समय और रित्या में संग्रहित करेगा, और निम्न के आधार पर, राज्य सरकार को भुगतान करेगा,–

(एक) अनुसूची क के अनुसार, धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) के अधीन वर्गीकृत उपभोक्ता को उसके द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभोग की गई ऊर्जा के युनिट ;

(दो) अनुसूची ग के अनुसार, धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन वर्गीकृत मुक्त अभिगमन सुविधा उपलब्ध होनेवाले उपभोक्ता को वहन द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभोग की गई ऊर्जा के युनिट तथा वितरण कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के उपभोग प्रभारों के अभिभावी दरों, जो अनुसूची क में उल्लिखित है, के अनुसार थी।

(२) इस प्रकार भुगतानयोग्य शुल्क, उसके द्वारा आपूर्ति या वहन की गई ऊर्जा के लिये, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूलनीय रक्कम पर प्रथम प्रभार होगा, तथा राज्य सरकार को, उसके द्वारा देय ऋण होगा :

परंतु, जहाँ, अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा आपूर्ति या वहन की गई ऊर्जा के लिये उसके देयों की वसूली करने में असमर्थ होता है, तब वह, इस प्रकार आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में, शुल्क का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

(३) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन आता है, जो अपने स्वयं के उपयोग के लिये पूर्णतः या भागतः ऊर्जा का उपयोग करता है या किन्ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति करता है, वह, अनुसूची ख के अनुसार, उसके या उपभोक्ता, जिसे उसने ऊर्जा की आपूर्ति की है, के द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य समुचित विद्युत शुल्क, विहित समय तथा रित्या में, राज्य सरकार को भुगतान करेगा। वह, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, जिसे उसने ऊर्जा की आपूर्ति की है, द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भाग वसूल कर सकेगा।

(४) प्रत्येक व्यक्ति, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी नहीं है, जो धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन, आता है, ऊर्जा का उपभोग करता है तथा पूर्णतः या भागतः अपने स्वयं के उपयोग के लिये प्रयोग में लाता है या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति करता है, वह अनुसूची ग के अनुसार, उसके या उपभोक्ता, जिसे उसने ऊर्जा की आपूर्ति की है, के द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन, भुगतानयोग्य, समुचित विद्युत शुल्क, विहित समय तथा रित्या अनुज्ञप्तिधारी के ज़रिए सरकार को भुगतान करेगा। वह, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे उसने ऊर्जा की आपूर्ति की है, उपभोग की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भाग वसूल कर सकेगा :

परंतु, जहाँ व्यक्ति, उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन आता है, उसके द्वारा किन्हीं अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिये, उसके देयों की वसूली करने में असमर्थ होता है, तब वह, इस प्रकार आपूर्ति की गयी ऊर्जा के संबंध में शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा।

(५) उप-धारा (३) तथा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि, ऊर्जा अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति की गई है, तब लागू नहीं होगी।

(६) जहाँ कोई व्यक्ति, उससे देय विद्युत शुल्क की रकम विहित समय तथा रित्या में, भुगतान करने में विफल होता है या अनदेखा करता है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी या, यथास्थिति, ऊर्जा आपूर्ति करनेवाला व्यक्ति, राज्य सरकार के अधिकारों को बाधा डाले बिना, धारा ११ के अधीन रकम वसूल, ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति जिसे ऊर्जा आपूर्ति की गई है, को लिखित में सात स्पष्ट दिनों से कम न हो, सूचना देने के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी या ऊर्जा आपूर्ति करनेवाले व्यक्ति के पास की जमा राशि या प्रतिदाय देयों के संबंध में यदि कोई, रकम से विद्युत शुल्क की ऐसी रकम कटौति कर सकेगा, ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति को की गई ऊर्जा की आपूर्ति खंडित कर सकेगा, यदि देय, उसके पास उपलब्ध जमा राशि या प्रतिदाय से वसुलनीय न हो ; तथा वह, उस प्रयोजन के लिये, उपभोग की गई ऊर्जा पर उपभोग प्रभार के संबंध में, देय किन्हीं प्रभार या रकम की वसूली के लिये, विद्युत अधिनियम की धारा ५६ की उप-धारा (१) द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(७) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार द्वारा, समय समय से अभिनिर्धारित की जा सके ऐसी रकम के छूट का, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत शुल्क के संग्रहण की लागत होने के संबंध में हकदार होगा।

(८) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहाँ राज्य सरकार, का समाधान हुआ है की, अनुसूची के किसी विशिष्ट भाग या खण्ड के अधीन आनेवाले, उपभोग के गलत मीटर वाचन या अशुद्ध वर्गीकरण के कारण, उचित विद्युत शुल्क का भुगतान करने में, किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति करनेवाला व्यक्ति या अपने स्वयं के उपयोग के लिये उपभोग की गई ऊर्जा के भाग पर, वास्तविक चूक हुई है, तब राज्य सरकार, किसी समय पर, आदेश द्वारा, भूतलक्षी प्रभाव से, विद्युत शुल्क की रकम की वसूली या उचित दर पर देय उसका कोई भाग या उसके व्याज की रकम, यदि कोई हो, धारा ११ के अधीन विलंबित भुगतान के लिये, भुगतान योग्य रकम, अधित्यजित या अपलिखित खाते में डाली जा सकेगी।

लेखाओं की बहीयाँ रखने और विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी आदि।

७. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तथा ऊर्जा का उपभोग करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन आता है, धारा ३ की उप-धारा (२) के अधीन विद्युत शुल्क से छूट दी गयी ऊर्जा के संबंध में, बचाता है, विहित प्ररुप में लेखा बहीयाँ रखेगा तथा विहित किये जाये ऐसे प्ररुप और ऐसे समय में, उसके द्वारा उपभोग की गई या, यथास्थिति, प्रत्येक उपभोक्ता को उसके द्वारा आपूर्ति किये विद्युत के युनिट दर्शानेवाला विवरण, तथा उसपर भुगतान योग्य शुल्क तथा धारा ६ के अधीन उसके द्वारा वसूल या भुगतान की रकम का विवरण राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

विद्युत शुल्क निरीक्षकों की नियुक्ति।

८. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विद्युत शुल्क निरीक्षक बनने के लिये विनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखनेवाले, जैसे वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त विद्युत शुल्क निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

सन् १८६० का ४५।

(३) प्रत्येक विद्युत शुल्क निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

विद्युत शुल्क निरीक्षकों की शक्तियाँ।

९. (१) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विद्युत शुल्क निरीक्षक,–

(एक) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत विद्युत शुल्क की रकम को अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिए आवश्यक समझे ऐसी बहीयाँ तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए उत्पादों की माँग करना ;

(दो) किन्हीं परिसरों में प्रवेश करना या उसकी छानबीन करना जहाँ पर ऊर्जा है, या निम्न प्रयोजनों के लिए ऊर्जा आपूर्ति होने का विश्वास है,–

(क) धारा ७ के अधीन प्रस्तुत लेखा बहीयाँ में बनाए विवरण का सत्यापन करने, उसे रखने या वापस करने ;

(ख) मीटरों का परीक्षण, पढाई तथा जाँच करने ;

(ग) विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में विशेष आवश्यकताओं का सत्यापन करने ;

(तीन) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए यथा आवश्यक हो।

सन् १९७४ का २।

(२) उप-धारा (१) के अधीन की गई सभी तलाशियाँ, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के उपबंधों अनुसार की जायेगी।

अपीलीय प्राधिकरण।

१०. (१) जहाँ अनुसूची के अधीन, जिसमें ऊर्जा का उपभोग कम होनेवाला संवर्ग है या जहाँ ऊर्जा विभिन्न उपयोगों के प्रयोजनों के लिए उपभुक्ति है, तो उपभोग का अंश ऐसे भाग या खंड द्वारा शासित होगा जैसे कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा राज्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए विनिर्दिष्ट करे ऐसे प्राधिकरण के लिए विनिश्चय निर्देशित करेगा। प्राधिकरण जैसा वह उचित समझे ऐसी जाँच के पश्चात्, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अभिलिखित किया गया विनिश्चय उप-धारा (३) के अधीन किसी अपील के अध्यधीन या उप-धारा (४) के अधीन राज्य सरकार द्वारा संशोधित होगा तथा ऐसे अपील या पुनरीक्षण में राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

(३) उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकरण के विनिश्चय के विरूद्ध की कोई अपील राज्य सरकार को की जायेगी तो ऐसी अपील, विनिश्चय के दिनांक से साठ दिनों के भीतर किया जायेगा।

(४) जहाँ उप-धारा (३) के अधीन कोई अपील नही किया गया है तो राज्य सरकार, किसी भी समय पर, **स्वप्रेरणा से** उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकरण के विनिर्णय की कानूनी या उपयुक्तता के बारे में उनका स्वयं का समाधान होने के, प्रयोजन के लिए तथा मामले के परीक्षण के लिए बुलाएगी। यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इस प्रकार किया गया कोई विनिश्चय का उपांतरण किया जाना, रद्द करना या प्रतिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है तो राज्य सरकार, उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति देने के पश्चात्, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर, जेसे वह उचित समझे उसपर ऐसे आदेश पारित करेगी।

विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज का लागू होना।

११. (१) विद्युत शुल्क के लेखे पर देय कोई राशि का, राज्य सरकार को यदि समय पर तथा विहित रित्या में भूगतान नही किया गया तो वह बकाया के रूप में समझा जायेगा तथा उसपर ऐसी राशि पर ब्याज ऐसी देय होनेवाली ऐसी राशि समय के पश्चात्, तत्काल प्रथम तीन महिने के लिए प्रति वर्ष, अठारह प्रतिशत की दर देय होगी तथा उसके पश्चात्, ऐसी राशि के भूगतान होने तक चौबीस प्रतिशत की ब्याज अदायगी होगी ; तथा उसपर किसी ब्याज से एकत्रित राशि या तो सिविल न्यायालय के ज़रिए या भू-राजस्व के बकाये के रूप में,–

(एक) यदि, धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन राशि या तो ग्राहक से या उक्त उप-धारा (१) के परन्तुक के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी से देय थी, तो राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विकल्प पर ;

(दो) यदि, धारा ६ की उप-धारा (३) के अधीन राशि या तो ग्राहक से ऊर्जा आपूर्ति करनेवाले व्यक्ति से देय थी तथा उसके अपने निजी उपयोग के लिए संपूर्ण या भागतः उपभोग लेता है से देय थी या, यथास्थिति, अन्य व्यक्ति को आपूर्ति करता है से देय थी तो, राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गई किसी अन्य अधिकारी के विकल्प पर, वसूलीयोग्य होगी।

(२) जहाँ, ग्राहक या, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति से अन्यथा व्यक्ति, या उत्पादन कंपनी जो धारा ६ की उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन आते है तो वह विद्युत शुल्क, शास्ति तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी है तथा यदि वह रकम की अदायगी ऐसी करता है जो विद्युत शुल्क, शास्ति तथा ब्याज की कुल संकलित रकम से कम है तो इस प्रकार भुगतान की गई रकम प्रथम बार ब्याज के ज़रिए समायोजित की जायेगी, उसके पश्चात् यदि कोई अतिशेष है तो शास्ति की रकम के ज़रिए समायोजित की जायेगी तथा उसके पश्चात् यदि कोई अतिशेष है तो, विद्युत शुल्क की रकम के ज़रिए समायोजित की जायेगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी परिस्थिति में इस धारा के अधीन, निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन तथा यथा विहित ऐसी कालावधिके लिए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ब्याज या शास्ति के संपूर्णतः या उसके किसी भाग का अधित्यजन कर सकेगा।

(४) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपभोक्ता से संग्रहित विद्युत शुल्क के संपूर्णतः या उसके किसी भाग का उपभोक्ता को, जो इस अधिनियम के अधीन या सरकार के विभिन्न योजनाओं के अधीन विद्युत शुल्क की छूट पाने के लिए पात्र है को प्रतिदाय कर सकेगा।

अपराध तथा शास्तियाँ।

१२. (१) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) धारा ७ के उपबंधों तथा धारा १५ के अधीन उस निमित्त बनाये नियमों के अनुसरण में लेखाओं की बहीयाँ रखने में या उसे वापस प्रस्तुत करने में असफल होता है तो ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए किसी नियम का उल्लंघन करता है, या

(ग) विद्युत शुल्क निरीक्षक का इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन उसपर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय जानबूझकर बाधा डालता है ;

तो वह दोषसिद्धि पर, दस हजार रुपयों तक बढाया जा सके ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन किये गये अपराध के संबंध में कोई शिकायत जब तक विद्युत शुल्क निरीक्षक द्वारा दायर नहीं की जाती है तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी।

कंपनियों द्वारा अपराध।

१३. (१) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो, अपराध किये जाने के समय कंपनी का प्रभारी था या कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए, कंपनी के लिए जिम्मेदार था, साथ ही साथ कंपनी, उस अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तद्नुसार, दण्ड़ित किये जाने कें लिए दायी होगा :

परन्तु, इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति का दायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और ऐसे अपराध को रोकने के लिए उसने समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है और यह साबित होता है कि ऐसा अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से उपेक्षा बरतने के कारण हुआ है तो, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का दायी होगा और तद्नुसार दण्डित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य, निगमित निकाय से है, और इसमें फर्म, व्यक्तियों या निकाय के व्यष्टिसंगम चाहे निगमित हो या न हो सम्मिलित होंगे : और

(ख) फर्म के संबंध में, " निदेशक " का तात्पर्य, फर्म के भागीदार और किसी व्यष्टिसंगम या व्यक्तियों के निकाय के संबंध में, उसके क्रियाकलापों को नियंत्रण रखनेवाले किसी सदस्य से है ।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

१४. इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिये आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

१५. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों का कार्यान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों को,—

(क) विद्युत शुल्क के अदायगी का समय तथा रीति विहित करने के लिए,—

(एक) विद्युत शुल्क की अदायगी का देय दिनांक ;

(दो) किश्तों द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान ;

(तीन) जिन परिस्थितिओं में तथा जिन शर्तो के अध्यधीन तथा जिस अवधि के लिए जिसमें विद्युत शुल्क के भुगतान के स्थगन के लिए धारा ६ के अधीन अनुमति दी जा सकेगी वह अवधि ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कोई रिआयत या छूट सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया विहित करना ;

(ग) जिस प्ररुप में लेखा बहीयाँ रखनी है वह प्ररुप तथा वह समय जिसमें, जिस प्ररुप में तथा वह अधिकारी जिसको धारा ७ द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना है वह समय और, वह प्ररुप तथा विहित करना ;

(घ) धारा ८ की उप-धारा (१) के अधीन विद्युत शुल्क निरीक्षक की अर्हताएँ विहित करना ;

(ड़) जिस नियमों के अध्यधीन विद्युत शुल्क निरीक्षक धारा ९ की उप-धारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा वह नियम यदि कोई हो तो, विहित करना ;

(च) मीटर के प्रतिष्ठापन और उसकी जाँच, पढाई तथा परीक्षण करने की प्रक्रिया विहित करना ;

(छ) प्राधिकरण को प्रश्न निर्देशित करने की तथा ऐसे प्राधिकरण के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल करने या पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया विहित करना ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता द्वारा देय रक्कम के अधिक्य में अदा की जानेवाली विद्युत शुल्क की रकम के प्रतिदाय के दावे के लिए की प्रक्रिया तथा सीमा का अवधि विहित करना ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन किसी दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए की फीस ;

(ञ) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए उपबंध करना।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गये सभी नियम पूर्व प्रकाशन कि शर्तों के अध्यधीन होंगे।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, चाहे एक सत्र या बाद के दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों को मिलाकर हो, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इसप्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनो सदन इस बात के लिए सहमत होते है कि नियम नहीं बनाए जाए और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते है, तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

१६. (१) नियत दिनांक की और से महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम निरसित होगा : सन् १९५८ का ४०।

परन्तु, निरसन प्रभावी नहीं होगा,—

(क) कोई नियम, अधिसूचना या इस प्रकार निरसित विधि के अधीन, बनाये गये या जारी आदेश या सूचना समेत कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही या कृत या करने के लिए तात्पर्यित होगी, या

(ख) इसप्रकार निरसित विधि के अधीन की गई कोई नियुक्ति, पुष्टीकरण या की गई घोषणा या अनुदत्त कोई प्राधिकार या छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत तथा दिए गए कोई निदेश ; या

(ग) इस प्रकार निरसित विधि के अधीन उपार्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या

(घ) यथा उपरोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियाँ या उपाय ; तथा ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियाँ या उपाय यदि यह अधिनियम अधिनियमित न हुआ था के रुप में संस्थित या जारी या प्रवर्तित हो सकेगा तथा कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी :

परंतु आगे यह की, पूर्ववर्ती उपबंधों के अध्यधीन, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित शुल्क या ब्याज के दर विरचित नियम या प्ररुप तथा किसी निरसित उपबंधों के अधीन विद्युत शुल्क निरीक्षक ने की कोई नियुक्ति इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विहित, विरचित या की गई समझी जायेगी तथा इस अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही द्वारा जब तक और अतिष्ठित होने तक तद्नुसार प्रवृत्त बनी रहेगी ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

१७. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत कोई बात कर करेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची—क

उपभोग प्रभारों पर विद्युत शुल्क

(देखिए धारा ३ तथा ६)

अनु क्र.	विद्युत बिल के टॅरिफ-प्रवर्ग	उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों को विद्युत आपूर्ति के उपयोग के प्रयोजन	दर
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	**भाग क— निवासी**	महाराष्ट्र विद्युत विनियमनकारी आयोग के टॅरिफ अनुसूची के अनुसार— (एक) निवासीय-व्यक्तिगत बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) ; (दो) निवासीय-व्यक्तिगत बी पी एल नहीं है ; (तीन) निवासीय समूह के भीतर सामान्य सुविधाएँ जैसे विद्युत, जल, उद्वाहन, मनोरंजन या समुदाय हॉल, क्लब, व्यायाम शाला, तरणताल आदि ; (चार) निवासिय-छात्रों का छात्रावास, कामकाजी महिलाओं या पुरुषों का छात्रावास ; (पाँच) निवासीय-निस्सहाय, शारीरिक या मानसिक विकलांग, वयस्कों के लिए आवास या निवास, अनाथालय, उद्धारगृह, आश्रम, धर्मशाला; (छह) पूजा के धार्मिक स्थल ;	राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट कर सके ऐसे उपभोग प्रभारों के बीस प्रतिशत से अधिक न हो ऐसे दर या दरों पर।

अनुसूची—क—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
		(सात) शारीरिक विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले टेलिफोन बूथ;	
		(आठ) निवासीय के अधीन वर्गीकृत किंतु सामाजिक कारणों के लिए ;	
		(नौ) उपर्युक्त आवेष्टित के बिना कोई अन्य परिसर।	
२.	**भाग-ख वाणिज्यिक**	महाराष्ट्र विद्युत विनियमनकारी आयोग की टॅरिफ अनुसूची के अनुसार– (एक) कारोबार या वाणिज्यिक प्रतिस्थापन– निगमित या प्रशासकीय कार्यालयों या दुकानों या शॉपिंग मॉल या शोरुम, बँको, एटीएम आदि ;	राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट कर सके ऐसे उपभोग प्रभारों के तीस प्रतिशत से अधिक न हो ऐसे दर या दरों पर।
		(दो) कारोबार में या वाणिज्यिक में प्रतिष्ठापन में सामान्य सुविधा जैसे की, विद्युतिकरण, उद्‌वाहन सुरक्षा, अग्निशमन,जल पम्पिग;	
		(तीन) समुदाय केंद्रो-शादी, समुदाय सेमिनार, प्रदर्शनी या बैठक या नगर हॉल ;	
		(चार) लोक मनोरंजन-सिनेमा गृह, नाट्यगृह, प्रसार कक्ष, मल्टीप्लेक्स, विश्राम या मनोरंजन स्थल आदि ;	
		(पाँच) आतिथ्य-छात्रावास, अथितिगृहों, पर्यटन केंद्रों, रेस्तराँ, आईसक्रीम पार्लर, कॉफी शॉप, फास्ट फुड केंद्र या स्टॉल आदि ;	
		(छह) संसूचना– दूरध्वनी आदान-प्रदान, मोबाईल टॉवर, सॅटेलाईट अँटेना, सार्वजनिक कॉल सेंटर, या बूथ, दुरदर्शन या आकाशवाणी केंद्र ; इंटरनेट या सायबर कॅफे, आदि ;	
		(सात) सेवा अभिमुख–ब्यूटी पार्लर, सलून, सेवा या मरम्मत केंद्रों, लॉन्ड्री, गॅरेज, सिलाई दुकानों, कॉल सेंटर आदि ;	
		(आठ) संस्थाएँ– शैक्षणिक, प्रशिक्षण,	

अनुसूची—क—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
		(नौ) स्वास्थ्य क्रियाकलाप— स्पोर्ट क्लब, स्वास्थ्य क्लब, व्यायामशाला, तरणताल आदि ;	
		(दस) संनिर्माण— नये या नविकृत भवन, संरचना, मूलभूत संरचना सडक, हवाई अड्डा, बोगदा, जनोपयोगी सेवाएँ, आदि ;	
		(ग्यारह) चिरस्थायी, पैतृक या ऐतिहासिक भवनों संरचित स्थानों का आंतरिक प्रदीपन आदि।;	
		(बारह) विज्ञान तथा अनुसंधान— अनुसंधान तथा विकास केंद्र प्रयोगशालाएँ, जलकृषि, मत्स्यालय, रेशम उत्पादन, पशुपालन, बीजारोपण;	
		(तेरह) जलकृषि, रेशम उत्पादन मत्स्योद्योग;	
		(चौदह) अस्पताल, चिकित्सालय, औषधालय, पॅथॉलॉजी, प्रयोगशालाएँ या नैदानिक केंद्र या विकिरण चिकित्सा, केंद्र, आदि। ;	
		(पंद्रह) सूचना प्रौद्योगिकी (आय टी) उद्योग वर्ग के अधीन अमान्यता प्राप्त तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसा दर्जा न दिए गए सॉप्टवेयर विकास डाटा प्रक्रिया आदि ;	
		(सोलह) किसी उपयोगी सेवा के रुप में विद्युत के साथ उपभोक्ता द्वारा भाडे या पट्टे पर दिया गया परिसर ;	
		(सत्रह) वाणिज्य के अधीन वगीकृत परंतु, सामाजिक कारणों के लिए ;	
		(अठराह) उपर्युक्त आवेष्टन के बिना कोई अन्य प्रतिस्थापन ;	
३.	**भाग ग कृषिक**	महाराष्ट्र विद्युत विनियमनकारी आयोग के टैरिफ अनुसूची के अनुसार— (एक)पंपिग ; (दो) कुक्कुटपालन ; (तीन) हाय-टेक हरितगृह, टिश्यू कल्चर, मशरुम आदि।;	राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट कर सके ऐसे उपभोग प्रभारों के तीस प्रतिशत से अधिक न हो ऐसे दर या दरों पर।

अनुसूची—क—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
		(चार) पुष्पोत्पादन, बागवानी, नर्सरी, वृक्षारोपण ; (पाँच) कृषि प्रक्रियाओं तथा स्वंय उपयोग के लिये गन्ना दलित्र, चारा कर्तक परन्तु तेल मिलों आटा-चक्की को लागू नहीं होगा; (छह) शीत-भण्डार, पूर्व- शीतकरण; (सात) कृषि के अधीन प्रवर्गीत किंतु सामाजिक कारणों के लिये नहीं ; (आठ) उपर समावेशित न की गई कोई अन्य कृषि गतिविधि।	
४.	**भाग घ-अस्थायी**	महाराष्ट्र विद्युत विनियमनकारी आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार- (एक) अस्थायी विद्युत आपूर्ति के साथ मुहैय्या धार्मिक विद्युत प्रतिष्ठान; (दो) 'अस्थायी' के अधीन प्रवर्गीकृत किंतु सामाजिक कारणों के लिये; (तीन) अस्थायी विद्युत आपूर्ति से उपबंधित धार्मिक के से अन्य कोई विद्युत प्रतिष्ठापन ।	राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसे उपभोग प्रभारों के तीस प्रतिशत से अधिक न हो ऐसे दर या दरों पर।
५.	**भाग ड—विज्ञापन तथा होर्डिंग्स्**	महाराष्ट्र विद्युत विनियमकारी आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार— विज्ञापन या नाम पट्ट, होर्डिंग्स्, आदि का विज्ञापन करना।	राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसे उपभोग प्रभार के तीस प्रतिशत से अधिक न हो दर या दरों पर।
६.	**भाग च—औद्योगिक**	महाराष्ट्र विद्युत विनियमनकारी आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार— (एक) आटा चक्की, दाल चक्की, चावल चक्की, पोहा चक्की, मसाला चक्की, आरा घर, ताना, दोहराना, गूथन आदि जैसे अन्य सहबद्ध गतिविधियो समेत बिजली करघा।; (दो) हिम कारखाना, आईस्क्रिम निर्माण युनिट, दुग्ध प्रक्रियाकरण तथा शीतकरण प्लांट (दुग्धशाला) ;	राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसे उपभोग प्रभार के पंद्रह प्रतिशत से अधिक न हो दर या दरों पर।

अनुसूची—क—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
		(तीन) इंजीनिअरिंग कार्यशाला, इंजीनिअरिंग वस्तू निर्माण युनिट, मुद्रणालय, परिणामण मरम्मत कार्यशाला ; (चार) खनन, खदान तथा पत्थर दलित्र युनिट ; (पाँच) वस्त्र निर्माण युनिट ; (छह) एलपीजी या सीएनजी बॉटलिंग प्लांट आदि। ; (सात) केवल औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित सहयोजन द्वारा स्वामित्व, कार्यान्वित, प्रबंधित की जानेवाली मलजल प्रक्रिया प्लांटस् या सामान्य निस्सारी प्रक्रिया प्लांटस् ; (आठ) सूचना प्रौद्योगिकी (आय.टी) उद्योग प्रवर्ग के अधीन मान्यताप्राप्त तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसा दर्जा रखनेवाले आय.टी. पार्कस, सॉफ्टवेअर विकास, डाटा प्रक्रियाकरण, आदि ; (नौ) 'औद्योगिक' के अधीन प्रवर्गकृत किंतु सामाजिक विषय के लिये; (दस) 'औद्योगिक नीति' के अधीन महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग द्वारा वर्गीकृत प्रवर्ग या प्रवर्गों; (ग्यारह) उपर समावेशित न किया गया कोई अन्य उद्योग।	
७.	**विभाग-ज मोनो तथा मेट्रो रेल**	महाराष्ट्र विद्युत विनियमनकारी आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार।	राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से, विनिर्दिष्ट कर सके ऐसे उपभोग प्रभारों के बीस प्रतिशत से अधिक न हो ऐसे दर या दरों पर।

अनुसूची—ख

उपभोग प्रभारों पर विद्युत शुल्क

(देखिए धारा ३ तथा ६)

निर्मित ऊर्जा का उपभोग (१)	उपयोग प्रयोजन (२)	दर (३)
(एक) आबद्ध ऊर्जा, (दो) सह-उत्पादन द्वारा ऊर्जा,	(एक) स्वंय-उपयोग	राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसे, प्रति युनिट पर डेढ़ सौ पैसे से अधिक न हो ऐसे दर या दरों पर।
(तीन) वैकल्पिक उत्पादन (चार) नवीकरणीय ऊर्जा से निर्माण ऊर्जा,		
(पाँच) स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आयपीपी)	(दो) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति।	राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसे अनुसूची क के अनुसार वितरण कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के प्रभावी दरों पर।

अनुसूचि—ग

उपभोग प्रभारों पर विद्युत शुल्क

(देखिए धाराएँ ३ तथा ६)

अनु क्र. (१)	उत्पादन प्रवर्ग (२)	उपयोग के प्रयोजन (३)	दर (४)
१.	मुक्त अभिगमन	(एक) स्वंय-उपयोग	राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसे अनुसूची क के अनुसार वितरण कंपनी या अनुज्ञप्ति-धारी के प्रभावी दरों पर।
२.	अन्य	(दो) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति।	

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2016.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (THIRD AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्र. हिं. माळी,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २२ अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा १८२ में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा १८२ की, उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु, ऐसी भूमि में चूककर्ता के अधिकार, हक और हित के सामने उप-धारा (५) के अधीन कलक्टर द्वारा बिक्री के लिए रखे गए हैं, तो कलक्टर, चूककर्ता या उसके विधिक वारिस को सूचना देकर, उसे भूमि वापस लौटा देने की उसकी इच्छा का अधिनिश्चय करेगा ; और यदि चूककर्ता या उसका विधिक वारिस ऐसी भूमि वापस लौटाने की उसकी इच्छा प्रस्तुत करते हैं और इस निमित्त जारी सूचना में कलक्टर द्वारा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अवधि के भीतर, जो नब्बे दिनों से अनिम्न नहीं होगी, निम्न रकम अदा करते हैं तत्पश्चात् उक्त भूमि कुर्की से निर्मुक्त की जाएगी और चूककर्ता या उसके विधिक वारिस को लौटायी जाएगी, अर्थात् :—

(एक) सरकार के प्रचलित आदेशों के अनुसार, भू-राजस्व के बकायों के कारण सरकार को देय और उस पर उद्ग्रहणीय ब्याज, बकाया देय ;

(दो) जहाँ ऐसा चूककर्ता, कलक्टर द्वारा उस भूमि को कुर्क किए जाने के पश्चात् भी, ऐसी भूमि के अनधिकृत कब्जे में है तो ऐसी अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसा चूककर्ता, ऐसी भूमि के अनधिकृत कब्जे में है, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक ऐसा वार्षिक पट्टा भाटक देगा और विभिन्न क्षेत्रों की भूमि के लिए और भूमि के विभिन्न उपयोग के लिए विभिन्न वार्षिक पट्टा भाटक विहित किए जा सकते हैं ; और

(तीन) शास्तिक रकम, जैसा कि विहित किया जाए चालू वर्ष के लिए ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत से अनधिक नहीं होगी और विभिन्न शास्ति की रकम, विभिन्न क्षेत्रों की भूमि के लिए और भूमि के विभिन्न उपयोग के लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसी होगी ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " भूमि का बाजार मूल्य " का तात्पर्य, सुसंगत वर्ष के लिए इस संबंध में, बॉम्बे स्टाम्प (संपत्ति का सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, १९९५ या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी नियमों के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि के मूल्य से है और जहाँ ऐसे दरों का वार्षिक विवरण तैयार या उपलब्ध नहीं हैं तो इसका तात्पर्य, संबंधित जिला के नगर योजना विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यथा अवधारित ऐसी भूमि के मूल्य से है। " ।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २५६ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा २५६ की,—

(क) उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक, जोड़े जाएँगे, अर्थात् :—

" परंतु, जहाँ कोई आदेश ऐसे अपील के विरूद्ध जिसमें सरकार को किसी राशि का भुगतान शामिल है तो ऐसे आदेश के कार्यान्वयन को जब तक कि आवेदक आक्षेपित आदेश के अधीन सरकार को देय ऐसी राशि पच्चीस प्रतिशत जमा नहीं करता है तब तक रोका नहीं जाएगा :

परंतु आगे यह कि, आपवादिक मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, यथोचित रीत्या ऐसी जमा रकम को कम कर सकता है :

परंतु यह भी कि, ऊपर यथा विनिर्दिष्ट अपीलकर्ता द्वारा जमा की जानेवाली रकम, अपील में पारित अंतिम आदेशों के अधीन सरकार को देय पायी गई रकम के अनुसार समायोजित की जाएगी और सरकार को देय पायी गयी रकम अंतत : अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई रकम से कम है तो ऐसे मामले में अतिरिक्त रकम बिना किसी ब्याज के अपीलकर्ता को लौटायी जाएगी। " ;

(ख) उप-धारा (३) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, जहाँ आदेश, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन दर्ज किया गया है, सरकार को किसी रकम का भुगतान अंतर्ग्रस्त है, ऐसे आदेश का कार्यान्वयन आक्षेपित आदेश के अधीन, सरकार को भुगतान योग्य ऐसी रकम के पच्चीस प्रतिशत, जब तक आवेदनकर्ता जमा नहीं करता है, तब तक स्थगित नहीं किया जायेगा :

परंतु आगे यह कि, आपवादिक मामलो में, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकरण, उसके लिये लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, यथोचित रित्या जमा करने की ऐसी रकम कम कर सकेगा :

परंतु यह भी कि, उपरोक्त नुसार, आवेदनकर्ता द्वारा जमा की गई रकम, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन कार्यवाहियों में पारित अंतिम आदेशों के अधीन सरकार को भुगतान योग्य पायी गई रकम के अनुसार समायोजित की जायेगी तथा आवेदनकर्ता द्वारा जमा की कई रकम से, सरकार को भुगतान योग्य रकम अंतिमत : कम पायी जाती है, के मामले में, अधिकतर रकम बिना किसी ब्याज के आवेदनकर्ता को लौटायी जायेगी :

परंतु यह भी कि, उपर्युक्त परंतुकों में अंतर्विष्ट उपबंध प्राधिकरण किसी आदेश के पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग **स्वयं-प्रेरणा से** करता है, के मामले में, लागू नहीं होंगे । " ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2016.

THE MAHARASHTRA HIGHWAYS (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्र. हिं. माळी,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २२ अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राजमार्ग अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १९५५ का ५५।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राजमार्ग अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

सन् १९५५ का ५५।

सन् १९५५ का ५५ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राजमार्ग अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,—

(क) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (घ-१) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, भूमि एकीकरण योजना के प्रयोजन के लिये, सरकार द्वारा नियुक्त किये गये राजस्व जिला कलक्टर तथा उप-कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी समेत, से हैं ; " ;

(ख) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (ट-१) " भूमि एकीकरण योजना " या " योजना " का तात्पर्य, राजमार्ग के निर्माण तथा नए नगर के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, राजमार्ग सीमा तथा नए नगरों के स्थान के भीतर आनेवाले विभिन्न स्वामित्व के अधीन भूमि का स्वैच्छिक समुच्चय करके, उसके बदले में सरकार द्वारा समय-समय से घोषित किए गए भूमि एकीकरण योजना के अनुसार निर्धारित आकार के विकसित अ-कृषक भूखंड या भूमि का हक प्रदान करने, से है ; " ;

(ग) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ड-१) "नये नगर" का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा ११३ के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नये नगर के रुप में घोषित किये गये या घोषित किये जानेवाले क्षेत्र, से हैं ;" ; सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् १९५५ का ५५ की धारा ४ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई राजमार्ग या राजमार्गों के मामलें में, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा संरचना, रखरखाव, विकास या सुधार के लिये विकसित या अंतरित, समनुदेशित, हस्तांतरित किये जाते है, उस मामले में, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड उस राजमार्ग या राजमार्गों के लिये राजमार्ग प्राधिकरण होगा।"।

सन् १९५५ का ५५ की धारा ५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, "राजमार्गों का सुधार" शब्दों के पश्चात्, "तथा नये नगरों का विकास" शब्द जोड़े जायेंगे।

सन् १९५५ का ५५ की धारा १४ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १४ के, खण्ड (छ) के, पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-१) भूमि एकीकरण योजना के अधीन, सीमा पर पत्थर तथा निशान रखकर, आवेष्टित भूमि के अंतिम अभिन्यास में, नये नगर की सीमाओं का अभ्यंकन तथा सड़कों तथा भूखण्डों का अभ्यंकन करना ;"।

सन् १९५५ का ५५ में अध्याय तीन क की निविष्टि।

६. मूल अधिनियम की धारा १९ङ के पश्चात्, निम्न अध्याय, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय तीन-क

भूमि एकीकरण योजना

योजना के लिये क्षेत्र की पहचान।

१९च. (१) राजमार्ग प्राधिकरण, भूमि एकीकरण योजना के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी होगा।

(२) राजमार्ग प्राधिकरण, योजना के लिये क्षेत्र की पहचान या तो स्वयं से या भूमि स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर कर सकेगा।

(३) राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्र की पहचान करने के लिये योजना आरंभ करेगा।

(४) राजमार्ग प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी को विहित रीत्या में योजना की सीमाओं तथा उसमें समाविष्ट क्षेत्र के अभ्यंकन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

योजना की अंतिम अधिसूचना के आशय तथा निर्गम की घोषणा।

१९छ. (१) सक्षम प्राधिकारी, धारा १९च की उप-धारा (४) में यथा उपबंधित राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में योजना बनाने के लिये, उसके आशय की घोषणा करनेवाली, उस योजना में जिनकी भूमि समावेशित की गई है ऐसे भूमि स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों से विहित रीत्या में तथा विहित अवधि के भीतर योजना के संबंध में आपत्तियों या सुझावों के साथ-साथ योजना में स्वैच्छिक सहभागिता के लिए सहमति मंगानेवाली प्रारंभिक अधिसूचना **राजपत्र** में प्रकाशित करेगा।

(२) भूमि का स्वामी या हितबद्ध व्यक्तियाँ, **राजपत्र** में प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विहित अवधि के भीतर उनके आक्षेपों या सुझावों को, साथ ही साथ योजना के लिये सहमति, विहित रीत्या, सक्षम प्राधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे, या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(३) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों को ध्यान में लेने या, यथास्थिति, सुनने के पश्चात्, तथा जैसा कि वह आवश्यक समझे, ऐसी अधिकतर जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, आक्षेपों या सुझावों पर उसकी सिफारिशें उपवर्णित करनेवाली रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा की गई उसकी कार्यवाहियों के अभिलेख की प्रतिलिपि राजमार्ग प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(४) राजमार्ग प्राधिकरण, उप-धारा (३) में निर्दिष्ट अभिलेख तथा रिपोर्ट को ध्यान में लेगा तथा ऐसे उपांतरणों से, या के बिना, यदि आवश्यक हो, जैसा कि वह उचित समझे, विहित रीत्या, योजना में समाविष्ट सीमाएँ तथा क्षेत्र की रुपरेखा प्रस्तुत करनेवाली, अंतिम अधिसूचना **राजपत्र** में प्रकाशित कर सकेगा।

(५) उप-धारा (४) के अधीन अंतिम अधिसूचना प्रकाशित करने का राजमार्ग प्राधिकरण का निर्णय अंतिम तथा निश्चायक होगा।

(६) उप-धारा (२) के अधीन भूमि स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दी गयी सहमति, अवसूलीय होगी।

भूमि के हक का सत्यापन और सहमति का विस्तार।

१९ज. (१) सक्षम प्राधिकारी, योजना में समाविष्ट किए गए भूमि के राजस्व अभिलेखों, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों और उसके स्वामित्व से संबंधित अन्य अभिलेखों के संदर्भ में उस भूमि के हक का और धारा १९छ की उप-धारा (२) में यथा उपबंधित सहमति के विस्तार का विहित रीत्या में विहित अवधि के भीतर सत्यापन करेगा।

(२) सक्षम प्राधिकारी, योजना के लिये भूमि की स्वाकृति को पुष्टि देनेवाला या अन्यथा समुचित आदेश, उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर से पारित करेगा।

विवादित स्वामित्व।

१९झ. (१) जहाँ, योजना के अधीन जिस क्षेत्र के संबंध में आशय की घोषणा की गई है, उस क्षेत्र में समाविष्ट किसी भूमि के स्वामित्व के दावे पर कोई विवाद है उस संबंध में या ऐसे विवादित दावे से सुसंगत हकों या नामांतरण अधिकारों के अभिलेख में कोई प्रविष्टि अयथार्थ तथा अनिर्णायक है, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी विकसित अकृषक भूखण्ड या भूमि के अंतिम आबंटन के पूर्व किसी भी समय, विहित रीत्या, जाँच कर सकेगा।

(२) सक्षम प्राधिकारी, भूमि के स्वामी को या हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, योजना के प्रयोजनों के लिये कौन भूमि का स्वामी है या हितबद्ध व्यक्ति है का निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिये, उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर से समुचित आदेश मंजूर करेगा।

(३) व्यथित व्यक्ति, लागू विधि के अधीन, सक्षम राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा या, यथास्थिति, सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में वाद नियमित कर सकेगा।

इस योजना में सहभाग नहीं लेनेवाले भूमि स्वामियों की भूमि का अर्जन।

१९ञ. भूमि-स्वामी या हितबद्ध व्यक्ति, जो स्वैच्छिक रुप से योजना में सहभागी नहीं हुआ है, ऐसे भूमि स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि, भूमि के अर्जन के लिये लागू विधि के अनुसार अर्जित की जायेगी।

प्रारुप तथा अंतिम अभिन्यास का प्रकाशन।

१९ट. (१) राजमार्ग प्राधिकरण, विहित रीत्या में नये नगर की सीमाओं में समावेशित भूमि का प्रारुप अभिन्यास तैयार करेगा। अभिन्यास में, सभी भूमि, चाहे भूमि-स्वामी या हितबद्ध व्यक्ति योजना में स्वैच्छिक रुप से सहभागी हो या न हो, का समावेश होगा।

(२) राजमार्ग प्राधिकरण, ऐसे भूमि-स्वामी या हितबद्ध व्यक्तियों से, जो योजना में स्वैच्छिक सहभागी है, आक्षेपों या सुझावों के मंगाने के लिए, ऐसी भूमि का प्रारुप अभिन्यास, विहित रीत्या प्रकाशित करेगा।

(३) भूमि-स्वामी या हितबद्ध व्यक्ति, प्रारुप अभिन्यास के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर राजमार्ग प्राधिकरण को लिखित में, विहित रीत्या, या ऐसे प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर, प्रारुप अभिन्यास के लिये, उनके आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

(४) राजमार्ग प्राधिकरण, सभी ऐसे आक्षेपों या सुझावों को सुनेगा, अभिलेख ध्यान में लेगा और जैसा कि वह उचित समझे ऐसे उपांतरणों से, ऐसे अंतिम अभिन्यास विहित रीत्या में प्रकाशित कर सकेगा।

(५) उप-धारा (४) के अधीन अंतिम अभिन्यास प्रकाशित करने का राजमार्ग प्राधिकरण का विनिर्णय अंतिम तथा निश्चायक होगा।

राजमार्ग प्राधिकरण में भूमि का निहित होना।

१९ठ. (१) धारा १९ छ की उप-धारा (४) में यथा उपबंधित योजना के अधीन अंतिम अधिसूचित क्षेत्र में भूमि तथा धारा ट की उप-धारा (४) में यथा उपबंधित अंतिम अभिन्यास, योजना के विकास तथा कार्यान्वयन के लिये, वर्ग-**एक** अधिभोगी के आधार पर, सभी ऋणभारों से मुक्त, अ-कृषक भूमि के रुप में, राजस्व प्राधिकरण से निश्चित रुप से निहित की जायेगी :

परंतु, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अनर्जित आय का कोई प्रिमिअम या **नजराना** या अंश, योजना के अधीन राजमार्ग प्राधिकरण के वर्ग **दो** अधिभोगी पर धारित किसी भूमि के अंतरण के लिये, सरकार द्वारा उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी, और ऐसे अंतरण होने पर, ऐसी भूमि, वर्ग-**एक** अधिभोगी के आधार पर सभी ऋणभारों से मुक्त, अ-कृषक भूमि के रुप में, राजमार्ग प्राधिकरण में निहित होगी।

(२) राजमार्ग प्राधिकरण से निहित किसी भूमि को सदोष रुप से अधिभोग करनेवाला कोई व्यक्ति राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिये आवश्यक होने पर, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में उपबंधित रीत्या, कलक्टर द्वारा संक्षेपतः बेदखल किया जायेगा। सन् १९६६ का महा. ४१।

विकसित अ-कृषिक भूखण्ड या भूमि का आंबटन।

१९ड. (१) राजमार्ग प्राधिकरण, सरकार द्वारा घोषित योजना के अनुसार भूमि-स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों को, जो योजना में स्वैच्छिक रुप से सहभागी है, विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि, आबंटित करेगा।

(२) विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि के आबंटन की प्रक्रिया विहित रीत्या में की जायेगी।

भूमि एकीकरण स्वामित्व प्रमाणपत्र।

१९ढ. (१) राजमार्ग प्राधिकरण, धारा १९ड़ में तथा उपबंधित भूमि स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों को, विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि आबंटन के पश्चात्, विहित अवधि के भीतर भूमि एकीकरण स्वामित्व प्रमाणपत्र (जिसे इसमें आगे "प्रमाणपत्र" कहा गया हैं) जारी करेगी :

परन्तु, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि का स्वामित्व, वर्ग-एक अधिभोगी आधार पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त होगा।

(२) प्रमाणपत्र में, भूमि स्वामियों के या हितबद्ध व्यक्तियों के मूल भूमि का विवरण, विकसित अ-कृषक भूखंड या भूमि के विवरण के साथ उसके मूल स्वामित्व के विवरण समेत विकसित अ-कृषक भूखंड या भूमि का नक्शा अंतर्विष्ट होगा।

(३) राजमार्ग प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के उपबंधों के अधीन प्रमाणपत्र रजिस्टर करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र, आबंटित विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि के संबंध में संपत्ति के स्वामित्व का निश्चायक सबूत होगा तथा सम्पत्ति का अंतरण अधिनियम, १८८२ के उपबंधों के अनुसार संपत्ति के अधिकारों का अंतरण करने के लिए पात्र होगा। सन् १९०८ का १६। सन् १८८२ का ४।

रजिस्ट्रीकरण फीस, मुद्रांक शुल्क आदि के संदाय से छूट।

१९ण. (१) धारा १९ढ की उप-धारा (३) में यथा उपबंधित प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए, राजमार्ग प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण फीस या मुद्रांक शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।

(२) धारा १९ड़ की उप-धारा (१) के अधीन प्रथम आबंटिती से राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आबंटित विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि पर अ-कृषक कर निर्धारण उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा।

भूमि का कब्जा लेने की शक्ति।

१९त. (१) सक्षम प्राधिकारी भूमि स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों, जिनको धारा १९ढ की उप-धारा (१) में यथा उपबंधित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, से योजना में की भूमि का कब्जा लेगा तथा ऐसी भूमि का कब्जा, विहित रीत्या, राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपेगा।

(२) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि, भूमि का अर्जन करने के लिए, लागू विधि के अनुसार संबंधित भूमि स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों से प्रतिकर की संपूर्ण अदायगी के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी की गई है तो धारा १९ञ में यथा उपबंधित अर्जित भूमि का कब्जा लेगा। तत्पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, विहित रीत्या में राजमार्ग प्राधिकरण को ऐसे भूमि का कब्जा सौंपेगा।

विकास योजना में भूमि को सम्मिलित करना।

१९थ. योजना प्राधिकरण, धारा १९छ की उप-धारा ४ में यथा उपबंधित योजना के अंतिम अधिसूचित क्षेत्र की भूमि तथा धारा १९ट की उप-धारा (४) में यथा उपबंधित अंतिम अभिन्यास भूमि को, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के अधीन नए शहरों के विकास योजना में सम्मिलित करेगा। सन् १९६६ का महा. ३७।

विकसित अ-कृषिक भूखण्ड या भूमि के स्वामी का दायित्व।

१९द. विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि का स्वामी, निम्न के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् :—

(क) विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि के भीतर सभी आवश्यक मूलभूत संरचना तथा लागू विधि के अनुसार विकास अनुमति प्राप्त करने के लिए ;

(ख) आबंटित भूखण्ड या भूमि के विकास के लिए आवश्यक सभी अनुमतियाँ तथा अपेक्षित ' अनापत्ति प्रमाणपत्र ' प्राप्त करने के लिए; तथा

(ग) विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि पर किसी संनिर्माण क्रियाकलाप का प्रारंभण करने के पूर्व, विकास अनुमति की मंजूरी के लिए, लागू विधि तथा नियमों के अनुसार आवश्यक फीस तथा प्रभारों को अदा करने के लिए।

योजना का कार्यान्वयन।

१९ध. (१) राजमार्ग प्राधिकरण, विहित रीत्या में योजना का कार्यान्वयन करेगा।

(२) राजमार्ग प्राधिकरण, सडकों तथा अंतिम अभिन्यास के भूखण्ड या भूमि के भौतिक अभ्यंकन कार्यान्वित करेगा।

(३) राजमार्ग प्राधिकरण, अंतिम अभिन्यास के अनुसार सड़के बनाने के पश्चात्, विहित रीत्या में योजना के अनुसार प्रमाणपत्र धारक को विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि का कब्जा सौंपेगा।

(४) शेष मूलभूत संरचना जैसे कि, सड़क बिजली, घनीभूत कूडा प्रबंधन, मल-जल अभिक्रिया सुविधा, जल आपूर्ति, बगीचे तथा खेल का मैदान तथा अन्य सुखसुविधाओं को राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, चरणबद्ध रीत्या में विकसित किया जायेगा।

योजना का समापन।

१९न. (१) राजमार्ग प्राधिकरण विहित अवधि के भीतर विहित रीत्या में, योजना के समापन की सूचना प्रकाशित करेगा।

(२) राजमार्ग प्राधिकरण विहित रीत्या में विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि के आबंटन का विवरण भी प्रकाशित करेगा।

मूलभूत संरचना का रखरखाव।

१९प. (१) विकसित अ-कृषिक भूखण्ड या भूमि के स्वामी, सामान्य मूलभूत संरचना तथा संबंधित सेवाओं जिसमें सडकें, सडक बिजली, घनीभूत कूडा प्रबंधन, मल-जल अभिक्रिया सुविधा, जल आपूर्ति, बगीचे तथा खेल के मैदान तथा अन्य सुखसुविधाओं के लिए जिम्मेवार राजमार्ग प्राधिकरण, या स्थानीय प्राधिकरणों या अभिकरणों द्वारा इस्तेमाल, उपभोग या रखरखाव के लिए उद्ग्रहीत प्रभारों का प्रतिदाय करेगा।

(२) राजमार्ग प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से या तो उसके अपने स्वामित्व पर या प्राधिकृत स्थानीय प्राधिकरण या अभिकरण से सामान्य मूलभूत सुविधाओं को बनाए रख सकेगा।

(३) राजमार्ग प्राधिकरण ऐसे मूलभूत संरचना के रखरखाव के लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसे विहित रीत्या में आवश्यक उपयोग प्रभारों का संग्रहण कर सकेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

१९फ. (१) राजमार्ग प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जैसा कि वह उचित समझे, किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा, तथा उनकी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(२) राजमार्ग प्राधिकरण तथा प्राधिकृत अधिकारी, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(३) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जैसा वह उचित समझे, उप-कलक्टर से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा, तथा उसकी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(४) सक्षम प्राधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

योजना क्षेत्र में भूमि के विकास पर निर्बंधन।

१९ब. (१) धारा १९छ की उप-धारा (१) में यथा उपबंधित योजना के आशय की घोषणा के पश्चात्, भूमि के स्वामी या हितबध्द व्यक्ति, राजमार्ग प्राधिकरण की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना, योजना क्षेत्र में संनिर्माण, स्थापित, बनावट, खुदाई आदि नहीं करेगे।

(२) धाराएँ ९ से १३ के उपबंध, **यथावश्यक परिवर्तन सहित** योजना क्षेत्र के लिए लागू होंगे। ".

सन् १९५५ के ५५ में धारा ६३क की निविष्टि।

७. मूल अधिनियम की धारा ६३ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

भूमि निपटान के लिये राजमार्ग प्राधिकरण की शक्ति।

६३क. राजमार्ग प्राधिकरण, उसमें निहित भूमि का, विहित रीत्या निपटान कर सकेगा।"।

सन् १९५५ का ५५ की धारा ७१ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ७१ की, उप-धारा (२) में,—

(१) खण्ड (घ-१) के पश्चात्, निम्न खण्डों की निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

" (घ-२) १९च की उप-धारा (४) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को योजना के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण की रीति ;

(घ-३) धारा १९छ की उप-धारा (१) के अधीन योजना में स्वैच्छिक सहभागिता के लिए आक्षेपों या सुझावों के साथ ही साथ सहमति माँगने की रीति तथा अवधि ;

(घ-४) धारा १९छ की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को योजना में स्वैच्छिक सहभागिता के लिए आक्षेपों या सुझावों के साथ ही साथ सहमति प्रस्तुत करने की रीति और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अवधि ;

(घ-५) धारा १९छ की उप-धारा (४) के अधीन योजना में समाविष्ट सीमाओं तथा क्षेत्र का अभ्यंकन करनेवाली अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की रीति ;

(घ-६) धारा १९ज की उप-धारा (१) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के हक का तथा सहमति की व्याप्ति का सत्यापन करने की रीति तथा अवधि।

(घ-७) धारा १९झ की उप-धारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच करने की रीति ;

(घ-८) धारा १९ट की उप-धारा (१) के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रारूप अभिन्यास तैयार करने की रीति ;

(घ-९) धारा १९ट की उप-धारा (२) के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रारूप अभिन्यास प्रकाशित करने की रीति ;

(घ-१०) धारा १९ट की उप-धारा (३) के अधीन, प्रारूप अभिन्यास के लिए आक्षेपों या सुझावों को प्रस्तुत करने की रीति तथा अवधि ;

(घ-११) धारा १९ट की उप-धारा (४) के अधीन राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतिम अभिन्यास प्रकाशित करने की रीति ;

(घ-१२) धारा १९ड़ की उप-धारा (२) के अधीन, विकसित अ-कृषक भूखण्ड या भूमि आबंटन की रीति ;

(घ-१३) धारा १९ढ की उप-धारा (१) के अधीन, भूमि एकीकरण स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि ;

(घ-१४) धारा १९त के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण को भूमि का कब्जा सौंपने की रीति ;

(घ-१५) धारा १९ध की उप-धारा (१) के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा योजना कार्यान्वयन की रीति ;

(घ-१६) धारा १९ध की उप-धारा (३) के अधीन, प्रमाणपत्र धारकों को विकसित अकृषक भूखण्ड या भूमि का कब्जा सौंपने की रीति ;

(घ-१७) धारा १९न की उप-धारा (१) के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, योजना के समापन की सूचना प्रकाशित करने की रीति तथा अवधि ;

(घ-१८) धारा १९न की उप-धारा (२) के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित अकृषक भूखण्ड या भूमि के आबंटन का विवरण प्रकाशित करने की रीति ;

(घ-१९) धारा १९प की उप-धारा (३) के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत किए जानेवाले आवश्यक उपभोक्ता प्रभारों तथा ऐसे प्रभारों को संग्रहीत करने की रीति ;

(घ-२०) धारा १९फ की उप-धारा (२) के अधीन, राजमार्ग प्राधिकरण तथा प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ;

(घ-२१) धारा १९फ की उप-धारा (४) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(घ-२२) धारा ६३क के अधीन राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि का निपटान करने की रीति ;"

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत कोई बात कर सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन ऐसा आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2016.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE
(FOURTH AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २२ अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, सन् १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

संक्षिप्त नाम। **१.** (१) यह, अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २९५ में संशोधन । **२.** महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा २९५ में निम्न परंतुक, जोडा जायेगा और वह उक्त संहिता के प्रारंभण के दिनांक से जोडा गया, समझा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, चाहे किसी भी शर्तों के लिए सरकार में निहित भूमि या तटाग्र, जो इस संहिता के प्रारंभण के दिनांक को या पूर्व विद्यमान थे या तत्पश्चात् मंजूर किये गये थे, वह राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा मंजूर किये गये सभी पट्टे, कलक्टर द्वारा निष्पादित पट्टा विलेखों या पट्टा-अनुबंधों या मंजूरी आदेशों में अनुबद्ध निबंधनों के होते हुये भी, निम्न निबंधनों के अध्यधीन होंगे, अर्थात् :—

(एक) पट्टे पर दिये गये, सरकार में निहित भूमियों या तटाग्र के संबंध में पट्टाधृति अधिकार समय-समय से, आदेश द्वारा, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे दरों पर, अनार्जित आय तथा अंतरण फीस या प्रभार के कारण ऐसे अधिमूल्य के भुगतान पर केवल कलक्टर की पूर्व अनुमति से अधिकतर समनुदेशित या अंतरित किये जायेंगे।

(दो) उप-खण्ड (एक) के उपबंधों के किसी उल्लंघन के मामले में, ऐसी पट्टाधृति अधिकारों के पट्टाधारी या अंतरणकर्ता, समय-समय से, आदेश द्वारा, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जा सके, ऐसे दरों पर ऐसे अधिमूल्य और अंतरण फीस या प्रभारों के अतिरिक्त में शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा। "।

विधिमान्यकरण। **३.** उक्त संहिता में या तद्धीन बनाए गए किसी नियमों, में या किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार द्वारा, उक्त संहिता के प्रवृत्त होने के दिनांक से प्रारंभ होनेवाली अवधि के दौरान और महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, " सन् २०१६ का संशोधन अधिनियम के प्रारंभण का दिनांक " कहा गया है) के प्रारंभण के दिनांक को समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान, कलक्टर की पूर्वानुमति से या के बिना, सरकार में निहित पट्टे पर दी गई भूमियों या तटाग्र के संबंध में, ऐसे पट्टाधृति अधिकारों के पट्टेदार या अंतरिती द्वारा पट्टाधृति अधिकारों के अधिकतर समनुदेशन या अंतरण पर अनर्जित आय के कारण अधिमूल्य और अन्तरण फीसों या प्रभारों या शास्ति के किसी उद्ग्रहण, माँग और संग्रहण और उसके लिए सरकार द्वारा की गई कोई कार्यवाही, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१६ द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के अधीन विधिमान्यतः उद्ग्रहित, माँगी गई, संग्रहित या की गई समझी जायेगी ; और विधिमान्यतः उद्ग्रहित, माँगी गई, संग्रहित या की गई हमेशा समझी जायेगी ; और तद्नुसार, किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इस आधार पर कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेंगी कि, उक्त संहिता के उपबंधों में, सन् २०१६ का संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व, कलक्टर द्वारा ऐसे अधिमूल्य और अंतरण फीसों या प्रभारों का उद्ग्रहण, माँग और संग्रहण या शास्ति या कार्यवाही उपबंधित नहीं है। उक्त संहिता के प्रवर्तन के दिनांक से प्रभावी होने के साथ इस प्रकार उद्ग्रहित, माँगी गई, संग्रहीत किसी ऐसे अधिमूल्य और अन्तरण फीसों या प्रभारों या शास्तियों के प्रतिदाय के लिए या की गई किसी कार्यवाही के लिए किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ चलाई या बनाए रखी या जारी रखी नहीं जायेगी।

सन् २०१६ का महा. २९।

सन् २०१६ का महा. २९।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2016.

THE MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २३ अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; **इसलिए**, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९५८ का ६५।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाये ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

सन् १९५८ का ६५ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड (१) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५८ का ६५।

" (१क-१) " उपकर " का तात्पर्य, धारा ३ख के अधीन उद्गृहीत उपकर से है ; "।

सन् १९५८ का ६५ में धारा ३ख की निविष्टि।

३. मूल अधिनियम की धारा ३क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

सड़क सुरक्षा उपकर का उद्ग्रहण।

" **३ख.** राज्य सरकार द्वारा समय-समय से अधिसूचित किया जाए, राज्य में नए रूप से रजिस्ट्रीकृत वाहनों और राज्य को स्थायी रूप से स्थानांतरित वाहनों के संबंध में, धारा ३ के अधीन उद्गृहीत कर के १० प्रतिशत से अधिक न हो, इतने दर पर, अतिरिक्त कर के रूप में, ऐसा उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा। "।

४. मूल अधिनियम की धारा ११ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९५८ का ६५ की धारा ११ में संशोधन।

सन् १९८८ का ५९ । "(५) धारा ३ख के अधीन उद्गृहीत और संग्रहीत उपकर का, मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा २१५ की उप-धारा (४) में यथा विनिर्दिष्ट सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा ।"।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.